अनुदान संख्या 40 - भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
GRANT No. 40–INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*					
मूल	*Original*	*62,20,00*		*65,88,00*	*63,58,72*	*-2,29,28*
पूरक	*Supplementary*	*3,68,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	2287,93,00		2320,03,00	2319,02,15	–1,00,85
पूरक	Supplementary	32,10,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			2,70,00	2,70,00	. .
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में कुल बचतें (*229.28 लाख रु.*) मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए *368.00 लाख रु.* के पूरक *विनियोग* का 62 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 3 प्रतिशत थीं।

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (*Rs.229.28 lakhs*) constituted 62 percent of the supplementary *appropriation* of *Rs.368.00 lakhs* obtained in March, 2010 and 3 percent of the total sanctioned *appropriation*.

Saving occurred under the following major head:-

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "2016" लेखा परीक्षा	Major Head "2016" Audit					
मू.	O.	6220.00		6588.00	6358.72	-229.28
पू.	S.	368.00				

(I) "भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक - यू.एन. लेखापरीक्षा इकाई'' के अंतर्गत *228.00 लाख रु.* के मूल *विनियोग* को *16.00 लाख रु.* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *244.00 लाख रु.* कर दिया गया। तथापि, *238.19 लाख रु.* की बचत (पूरक *विनियोग* सहित) विदेश मंत्रालय से प्रतिपूर्ति के दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(I) Under "Comptroller and Auditor General of India – U.N. Audit Unit" – the original *appropriation* of *Rs.228.00 lakhs* was augmented to *Rs.244.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *Rs.16.00 lakhs*. However, there was a saving of *Rs.238.19 lakhs* (including supplementary *appropriation*) – due to non-receipt of claims for re-imbursement from the Ministry of External Affairs.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

मुख्य शीर्ष "2016" लेखा परीक्षा	Major Head "2016" Audit				
मू.	O.	228793.00	232003.00	231902.15	-100.85
पू.	S.	3210.00			

(I) "सिविल लेखापरीक्षा और लेखा कार्यालय - सिविल लेखापरीक्षा कार्यालय'' के अंतर्गत 106844.27 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1410.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 108254.27 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 2775.94 लाख रु.की बचत (पूरक अनुदान सहित) संशोधित आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम संबंधी बकाया राशियों की अदायगी के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, कम चिकित्सा दावे प्राप्त होने, यात्रा दावों का पुरानी दरों पर निपटान किए जाने, सेंट्योर होटल, श्रीनगर के लिए अग्रिम किराए की

(I) Under "Civil Audit and Accounts Offices – Civil Audit Offices" - the original provision of Rs.106844.27 lakhs was augmented to Rs.108254.27 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1410.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.2775.94 lakhs (including supplementary grant) – due to requirement of less funds towards payment of modified assured career progression scheme arrears, receipt of less medical claims, settlement of travel claims on old rates,

अदायगी न किए जाने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(II) "डाक और दूरसंचार लेखापरीक्षा कार्यालय" के अंतर्गत 298.47 लाख रु. की बचत (7675.60 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम संबंधी बकाया राशियों की अदायगी के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, यात्रा दावों का पुरानी दरों पर निपटान किए जाने और आई.टी. परियोजनाओं के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

(III) "समुद्रपार लेखापरीक्षा कार्यालय" के अंतर्गत 215.54 लाख रु. की बचत (1381.61 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग संबंधी बकाया राशियों की अदायगी के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, चिकित्सा बिल कम प्रस्तुत किए जाने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

3. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) "सिविल लेखा परीक्षा और लेखा कार्यालय - सिविल लेखा कार्यालय" - 2301.52 लाख रु. का अधिक व्यय (1800.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 87221.19 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम संबंधी बकाया राशियों की अदायगी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने, नए खोले गए कार्यालयों में डाटा एन्ट्री आपरेटरों को किराए पर लिए जाने और पूर्वोत्तर में नव सृजित कार्यालयों में दौरा आधार पर नियुक्ति किए जाने के कारण हुआ।

(II) "रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय" - 438.56 लाख रु. का अधिक व्यय (12484.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम संबंधी बकाया राशियों की अदायगी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने, नए खोले गए रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालयों को सज्जित किए जाने की लागत में वृद्धि होने और कार्यालयों का आधुनिकीकरण किए जाने के कारण हुआ।

non-payment of advance rent for the Centaur Hotel, Srinagar and non-completion of work by Central Public Works Department.

(II) Under "Posts and Telecommunications Audit Offices" – saving of Rs.298.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7675.60 lakhs) was due to requirement of less funds towards payment of modified assured career progression scheme arrears, settlement of travel claims on old rates and non-materialisation I.T. projects.

(III) Under "Overseas Audit Offices" – saving of Rs.215.54 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1381.61 lakhs) was due to requirement of less funds towards payment of 6th Central Pay Commission arrears, non-submission of medical bills and less tours undertaken.

3. The above savings were partly offset by excess under the following heads:-

(I) "Civil Audit and Accounts Offices - Civil Accounts Offices" - excess of Rs.2301.52 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.87221.19 lakhs including supplementary grant of Rs.1800.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment of modified assured career progression scheme arrears, hiring of data entry operators in newly opened offices and manning of newly created offices in the North East on tour basis.

(II) "Railway Audit Offices" - excess of Rs.438.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.12484.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment of modified assured career progression scheme arrears, escalation in cost of furnishing of newly opened Railway Audit Offices and office modernization.

(III) ''वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय'' - 404.04 लाख रु. का अधिक व्यय (8927.35 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम संबंधी बकाया राशियों की अदायगी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और आपातकालीन मरम्मत कार्य कराए जाने के कारण हुआ।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 70.74 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत था।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(III) "Commercial Audit Offices" - excess of Rs.404.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8927.35 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment of modified assured career progression scheme arrears and emergency repair works.

(IV) Under one head excess of Rs.70.74 lakhs occurred constituting 14 percent of the sanctioned provision.

4. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4059'' लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	10.00	270.00	270.00	. .
पु.	R.	260.00			
मुख्य शीर्ष ''4216'' आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	260.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–260.00			

(I) 260.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''4216'' - ''सरकारी रिहायशी भवन - भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचाारियों के लिए आवास स्कीमें - बने बनाए फ्लैटों का अधिग्रहण'' के अंतर्गत एक मामले में अहमदाबाद में भूमि की खरीद के सौदे के मूर्तरूप न लेने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.260.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4216" – "Government Residential Buildings – Housing Schemes for employees of IA&AD – Acquisition of ready built flats" - due to non-materialisation of deal for purchase of land at Ahmedabad.

5. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4059" - "कार्यालय भवन - अन्य व्यय - बने बनाए आवास का अधिग्रहण" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं - 260.00 लाख रु. का अधिक व्यय (10.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जयपुर के निकट अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण जांच केंद्र स्थापित करने संबंधित भूमि की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

5. The above savings were offset by excess under Major Head "4059" – "Office Buildings– Other Expenditure – Acquisition of ready built Accommodation" – excess of Rs.260.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards purchase of land for establishing of International Centre for Environment Audit near Jaipur.